

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 सचिव माननीय राज्यपाल महादय, राजस्थान
- 2 प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महादय
- 3 विस्त राज सचिव मुख्य सचिव राजस्थान
- 4 समरत अधिकारी मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशेष शासन सचिव
- 5 प्रधान महालेखाकार राजस्थान जयपुर
- 6 समरत विभागाध्यक्ष
- 7 निदेशक कोष एव लेखा, राजस्थान
- 8 समरत कोषाधिकारी
- 9 तकनीकी निदेशक गिल (कामगूठर सेल)
- 10 रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नालिपि को भी आवश्यक कार्यवाही एव सूचनार्थ

- 1 राचिव, राजस्थान गिलन रामा जयपुर
- 2 रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
- 3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
- 4 सचिव, लोकायुक्त संगिवालय, जयपुर


(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव


प्रधान 04/2020

स्वायत्त शासन विभाग,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेंसिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: F. 44/DLB/Bill Section/Misc. ULB/ 264

दिनांक 13/04/2020

प्रतिलिपि : आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान को पालनार्थ प्रेषित है।


(उज्जवल राघव)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम) / 2014

जयपुर, दिनांक : 11/04/ 2020

आदेश

विषय: COVID-19 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रित होने तथा इलाज के समय असामिक मृत्यु होने पर रुपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि के संबंध में।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी की असामिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित/परिवार को रुपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि देय होगी।

यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित Pradhan Mantri Garib Kalyan Package : Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 में शामिल श्रेणी के कर्मियों को देय नहीं होगी। यह राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(1)(a) के अन्तर्गत देय अनुग्रह राशि रुपये 20.00 लाख के अतिरिक्त होगी।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्यधीन प्रदान की जाती है।


(निरजन कुमार आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
11/4/20